



न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रपत्र

(85)

प्रकरण क्रमांक R/5637/18/रीवा/भूरि,

शमप्रसाद भक्तवशी

स्थान तथा दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर

9-1-19

आवेदक की ओर से श्री आइ.पी. खिवड़ी अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी नायब तहसीलदार तट. तथारि के प्रकरण क्रमांक 133/A-74/17/18 में पारित आदेश दिनांक 13/08/18 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भूराजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 18-4-19 को कलेक्टर जिला रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।

सदस्य